भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5264
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-जलवायु परिवर्तन से प्रेरित सूखा
†5264. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने यह पाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण संकट उत्पन्न हो गया है और किसान इसके प्रति सबसे अधिक प्रभावित हैं;
(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के किसानों को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आज की कृषि उपज को कल की पीढ़ी के लिए संरक्षित रखा जाए?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) सरकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना के तहत उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना के तहत उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता की जा रही है। सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण से मिशन फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना फसलों के नष्ट हो जाने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों को

प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु संबंधी जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है और तमिलनाडु राज्य सहित जलवायु परिवर्तन के कारण जिला स्तर पर जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करती है इनमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है। 310 संवेदनशील जिलों में से 201 जिलों को जलवायु परिवर्तन के मामले में 'उच्च' श्रेणी में रखा गया है, जिनमें से 5 जिले, नामतः धर्मपुरी, विलुपुरम, कोयंबटूर, पेरंबालूर और रामनाथपुरम, में हैं। इन 651 जिलों के लिए मौसम संबंधी अनियमितताओं से निपटने और राज्य कृषि विभागों द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल फसलों और किस्मों तथा प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश करने के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाएं (डीएसीपी) भी तैयार की गई हैं। एनआईसीआरए के तहत, जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की अनुकूलता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, धान की सघनता प्रणाली, एरोबिक राइस, धान की सीधी बुआई, जुताई सहित गेहूं की बुआई, सूखा और गर्मी जैसी चरम मौसम स्थितियों के प्रति सहनशील जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी किस्मों की खेती, धान के अवशेषों का खेत में ही मिट्टी में मिलाना आदि जैसी स्थान-विशिष्ट जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को 448 मॉडल जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी गांवों में केवीके के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिनमें से 10 गांव तमिलनाडु में हैं।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आज की कृषि और प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहें, सरकार द्वारा स्थिरता, संसाधन संरक्षण और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें जैसे प्रति बूंद अधिक फसल, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन लागू की गई हैं।
